निष्पादन प्रकरण क्रमांक 02/2020

शिवचरण **विरूद्ध** खाताराम वगैरह

संस्थित दिनांक **03.03.2020**

दिनांक 06.03.2024

डिक्रीधारी शिवचरण सहित श्री मिहिर झा अधिवक्ता उपस्थित ।

निर्णितऋणी क्रमांक 01 खाताराम सिविल कारागार में निरूद्ध ।

निर्णितऋणी क्र. 02 तोरन स्वतः उपस्थित ।

निर्णितऋणी क्र. 03 छ.ग. शासन पूर्व से एकपक्षीय ।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है ।

इसी स्तर पर डिक्रीधारी शिवचरण ने उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन मय शपथ पत्र पेश किया कि **"निर्णितऋणी/अनावेदक के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा ख.नं. 430/2 रकबा 0.04, ख.नं. 430/3 रकबा 0.03, ख.नं. 430/4 रकबा 0.3, ख.नं. 430/1 रकबा 0.4, कुल खसरा नं. 04 रकबा 0.14 डि. भूमि स्थित ग्राम–पवनतरा, प.ह.नं. 55, उप तहसील जालबांधा की भूमि का रिक्त आधिपत्य आवेदक/आज्ञाप्तिधारी को सौप दिये जाने बाबत्, आदेश पारित किया गया है । न्यायालय के आदेश की परिपालन नहीं किये जाने के कारण निर्णितऋणी/अनावेदक को जेल भेज दिया गया है । निर्णितऋणी/अनावेदक उक्त वादग्रस्त भूमि को पूरी तरह से रिक्त आधिपत्य आज्ञाप्तिधारी/आवेदक को सौप दिया है, अब किसी प्रकार से कोई भी कब्जा उपरोक्त वर्णित भूमि में अनावेदक/निर्णितऋणीगणों का नहीं है । निर्णितऋणी/अनावेदक को जेल से रिहा किये जाने बाबत् तथा वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटा दिये जाने के संबंध में यह आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश किया गया जा रहा है । अनावेदक खाताराम को जेल से रिहा किये जाने बाबत् आवेदन मय शपथपत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है ।"**

इस संबंध में निर्णितऋणीगण खाताराम के द्वारा भी इस आशय का शपथपत्र पेश किया है कि **"शपथकर्ता के विरूद्ध माननीय**

न्यायालय द्वारा ख.नं. 430/2 रकबा 0.04, ख.नं. 430/3 रकबा 0.03, ख.नं. 430/4 रकबा 0.3, ख.नं. 430/1 रकबा 0.4, कुल खसरा नं. 04 रकबा 0.14 डि. भूमि स्थित ग्राम–पवनतरा, प.ह.नं. 55, उप तहसील जालबांधा की भूमि का रिक्त आधिपत्य आवेदक/आज्ञाप्तिधारी को सौप दिये जाने बाबत्, आदेश पारित किया गया है । न्यायालय के आदेश की परिपालन नहीं किये जाने के कारण शपथकर्ता को जेल भेज दिया गया है । शपथकर्ता उक्त वादग्रस्त भूमि को पूरी तरह से रिक्त आधिपत्य आज्ञाप्तिधारी/आवेदक को सौप दिया है, अब किसी प्रकार से कोई भी कब्जा उपरोक्त वर्णित भूमि में अनावेदक/निर्णितऋणीगणों का नहीं है यदि शपथकर्ता के द्वारा न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का पुनः उल्लंघन किया जाता है तो समस्त जिम्मेदारी मुझ शपथकर्ता का होगा । शपथकर्ता को जेल से रिहा किये जाने बाबत् तथा वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटा दिये जाने के संबंध में यह शपथपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है । शपथकर्ता को जेल से रिहा किये जाने बाबत् आवेदन के समर्थन में यह शपथपत्र प्रस्तुत है ।"

इसी प्रकार इस संबंध में निर्णितऋणीगण तोरन सिंह वर्मा के द्वारा भी इस आशय का शपथपत्र पेश किया है कि "शपथकर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा ख.नं. 430/2 रकबा 0.04, ख.नं. 430/3 रकबा 0.03, ख.नं. 430/4 रकबा 0.3, ख.नं. 430/1 रकबा 0.4, कुल खसरा नं. 04 रकबा 0.14 डि. भूमि स्थित ग्राम–पवनतरा, प.ह.नं. 55, उप तहसील जालबांधा की भूमि का रिक्त आधिपत्य आवेदक/आज्ञाप्तिधारी को सौप दिये जाने बाबत्, आदेश पारित किया गया है । शपथकर्ता उक्त वादग्रस्त भूमि को पूरी तहर से रिक्त आधिपत्य आज्ञाप्तिधारी/आवेदक को सौप दिया है, अब किसी प्रकार से कोई भी कब्जा उपरोक्त वर्णित भूमि में अनावेदक/निर्णितऋणीगणों का नहीं है यदि शपथकर्ता के द्वारा न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का पुनः उल्लंघन किया जाता है तो समस्त जिम्मेदारी मुझ शपथकर्ता का होगा ।"

इससे स्पष्ट है कि न्यायाल के द्वारा जारी स्थायी निषेधाज्ञा के पालन में निर्णितऋणीगण खाताराम एवं तोरन के द्वारा वाद भूमि का कब्जा रिक्त कर दिया गया है और उस पर डिक्रीधारी शिवचरण ने वापस कब्जा प्राप्त कर लिया है । चूंकि डिक्रीधारी शिवचरण ने डिक्री के निष्पादन से पूर्ण संतुष्ट होना व्यक्त किया है । अतः प्रकरण डिक्रीधारी की पूर्ण संतुष्टि के आधार पर प्रकरण समाप्त घोषित किया जाता है तथा निर्णितऋणी खाताराम को सिविल कारागार से रिहा किये जाने का ओदश दिया जाता है । इस संबंध में जेल अधीक्षक उप जेल खैरागढ़ को निर्णितऋणी खाताराम का रिहाई आदेश जारी किया जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार राजनांदगांव प्रेषित किया जावे ।

सही/–

(विवेक गर्ग)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 खैरागढ़

सिविल जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

VIVEK GARG Digitally signed by VIVEK GARG